

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55()Engg./CE/DLB/17/CDD/DPR/ 7048

दिनांक : 8/9/17

अधिशापी अधिकारी,
नगर पालिका,
केशोरायपाटन (बून्दी)।

विषय : राजस्थान में 100 शहरों में Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ : स्वायत्त शासन विभाग एवं सीडीडी सोसाइटी के मध्य दिनांक 03.08.2017 को निष्पादित MoU के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निकायों में शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है। ओडीएफ प्लस हेतु निकायों में जहां सीवरेज नहीं है, वहां Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) किया जाना है।

Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detail Project Report) बनाये जाने हेतु CDD सोसायटी के साथ किये गये Memorandum of Undertaking (MoU) के अनुसार सीडीडी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। केशोरायपाटन शहर में सेप्टेज प्रबंधन के लिए सीडीडी सोसायटी द्वारा DPR बनायी जावेगी।

नगर पालिका स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. FSSM कार्य हेतु आपके शहर के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावें।
2. Faecal Sludge Treatment plant (FSTP) हेतु आवश्यक भूमि का चयन करते हुये फेंसिंग इत्यादि का कार्य करवाकर साइन बोर्ड लगवाया जावें। सामान्यतः भूमि नगर के केंद्र से 6 कि.मी. से ज्यादा दूर न हो व चयनित भूमि के 100 मीटर के भीतर कोई आवास न हो।
3. वार्षिक बजट में FSSM के लिए प्रावधान किया जावें।
4. सीडीडी सोसाइटी को आवश्यकतानुसार आंकड़ों के संग्रह में आवश्यक सहयोग किया जावें, जिसमें नवीनतम सर्विस लेवल बेंचमार्क डेटा, डीपीआर को बनाने के लिए भूमि का सर्वे, MoU में वर्णित अनुसार व्यवस्था करते हुये डीपीआर बनाने हेतु आवश्यक आंकड़े सीडीडी सोसायटी को उपलब्ध करावें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि केशोरायपाटन शहर से निकलने वाले गन्दे पानी के नाले चम्बल नदी में गिर रहे हैं। माननीय National Green Tribunal के निर्देशानुसार गंदे पानी का ट्रीटमेंट करने हेतु कार्य योजना/ डीपीआर तैयार करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जानी है। डीपीआर तैयार करने हेतु सीडीडी सोसायटी की टीम को आवश्यक सहयोग/सहायता उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न : LSG एवं सीडीडी के मध्य
निष्पादित MoU की प्रति।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव


दिनांक : 8/9/17

क्रमांक : एफ 55()Engg./CE/DLB/17/CDD/DPR/ 7049-7059

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर,।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
6. निजी सहायक, मुख्य अभियंता, निदेशालय।
7. निजी सहायक, मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
8. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सीडीडी सोसाइटी को भेजकर लेख है कि माननीय न्यायालय National Green Tribunal के निर्देशानुसार सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुये तीन माह की अवधि में डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करें।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता